न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

उपस्थित– **पुष्पा सिंह**
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ०कोड. यू०पी० 01588

दाण्डिक निगरानी संख्या–139 सन् 2022

CNR NO.UPSN01–002922–2022

बच्चन राम तिवारी उम्र लगभग 81 साल पुत्र स्व० राम चरित्र तिवारी, निवासी ग्राम बिहियापुर, थाना सुरियाँवा, जनपद–भदोही। .....निगरानीकर्ता/परिवादी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य।
2. नन्दलाल पाण्डेय उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र कमलाशंकर
3. अनुज पाण्डेय उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र संगम पाण्डेय
4. पंकज तिवारी उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र ताड़केश्वर तिवारी
5. सुरेन्द्र तिवारी उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र धर्मराज तिवारी
6. रामराज तिवारी उम्र लगभग 61 वर्ष पुत्र लालमणि तिवारी, निवासीगण ग्राम बिहियापुर, थाना सुरियाँवा, जनपद–भदोही।
7. विनय उम्र लगभग 41 वर्ष पुत्र ताड़केश्वरनाथ उर्फ ताड़कनाथ उपाध्याय
8. ताड़केश्वर उर्फ ताड़कनाथ उपाध्याय उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्र कमलाशंकर निवासीगण ग्राम मनापुर, थाना–सुरियाँवा, जनपद–भदोही। .....विपक्षीगण।

नि र्ण य

1. यह दाण्डिक निगरानी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भदोही–ज्ञानपुर, द्वारा परिवाद संख्या 3436 सन् 2021, बच्चन राम तिवारी बनाम नन्दलाल पाण्डेय आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–17.09.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी का परिवादपत्र निरस्त किया गया है।

2. संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर यह कथन किया कि आराजी नम्बरी 6 स्थित मौजा बिहियापुर सहसोल भदोही जनपद भदोही प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो की भूमिधरी भूमि है। जिसका प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के बीच पारस्परिक बटवारा हो चुका है तथा प्रार्थी भूमि उक्त थे। अपने हिस्से की भूमि में कोटेदार तार लगाने हेतु पत्थर का 20 पीलर गाड़ा था व पत्थर का 78 पीलर रखा था। अभियुक्तगण प्रार्थी से रंजिश रखते हैं। उसी रंजीश यस दिनांक 28.11.2021 को समय 11 बजे रात एक साथ एक ही समय एक राय होकर अपराध कारित करने ने नियत से अपने हाथ में लाठी डण्डा लेकर प्रार्थी की भूमि उक्त पर आकर प्रार्थी व प्राथी का भतीजा शम्भूनाथ पुत्र मुन्नीलाल जो उस समय वहां मौजूद था। आकर मां बहन की भई भही गालियां देने लगे प्रार्थी के भतीजे ने पूछा कि अनायास गाली क्यो दे रहे हो तो अभियुक्तगण प्रार्थी

के भतीजे शम्भूनाथ को लाठी डण्डा व लात मुक्का व घुसा से मारने पीटने जो तथा प्राथों का पत्थर का 78 पीलर जो रखा था व दो क्विन्टल काटेदार तार उठा ले गये तथा पत्थर का 20 पीलर जो गड़ा था उसको भी तोड़ दिये तथा अभियुक्तगण ने प्रार्थी व प्रार्थी के भतीजे को जान से मारने की धमकी भी दिये घटना को राजकुमार पुत्र भुल्लर व अन्य बहुत से लोगो ने देखा व बीच बचाव किया। अभियुक्तगण द्वारा घटना उक्त कारित करने के बाद 212 नम्बर पर काल कर पुलिस बुला लिये तथा 112 नम्बर की पुलिस प्रार्थी के भतीजे शम्भूनाथ को अपने साथ थाना सुरियावा ले जाकर दिनांक 29.11.2021 ई० धारा 151 दं०प्र०सं० में चालान कर दिय जिसको उपजिलाधिकारी महोदय भदोही द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। घटना की सूचना थाने पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई तब यह परिवाद पत्र न्यायालय में संस्थित किया गया।

3. परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता व परिवादी साक्षी क्रमांक–1 शम्भूनाथ तिवारी व परिवादी साक्षी क्रमांक–2 राजकुमार को अन्तर्गत धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षित कराया गया ।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात यह निष्कर्षित करते हुए कि परिवादी द्वारा पुराने दीवानी विवादों को फौजदारी वाद का रंग देते हुए यह परिवाद संस्थित किया गया है, जिसे आधारहीन पाते हुए परिवादी के परिवादपत्र को निरस्त कर दिया। उक्त आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

5. पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी की ओर से आधार निगरानी एवं तर्क में कहा गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि विरुद्ध है और अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विधिक परिशीलन न करके त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है। विचारण न्यायालय ने परिवादी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया है तथा परिवादी के उक्त् साक्ष्य का समर्थन परिवादी साक्षी क्रमांक–1 व 2 ने धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत साक्ष्यों द्वारा किया है, किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त साक्ष्यों का गलत एवं त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है। विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों पर भी ध्यान न देकर गलत निष्कर्ष निकाला गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण परिवाद पत्र में अंकित धाराओं में आहूत किए जाने योग्य हैं। अतः दाण्डिक निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2022 निरस्त करते हुए परिवाद पत्र में वर्णित धाराओं में अभियुक्तगण को आहूत किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. निगरानीकर्ता की ओर से सूची दिनांकित 17.11.2022 से सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांकित 17.09.2022 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भदोही–ज्ञानपुर, बच्चन राम तिवारी बनाम नन्दलाल आदि तथा निगरानीकर्ता के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से बहस के समय कोई उपस्थित नहीं आया। अतः दाण्डिक निगरानी के गुणदोष पर निस्तारण हेतु न्यायालय में उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश का सम्यक अवलोकन किया गया।

8. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क, पुनरीक्षण आवेदन, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आलोक में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में शुद्धता, वैधता एवं औचित्य की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किए जाने योग्य है ?

9. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि "पुलिस आख्या के साथ संलग्न प्रपत्रों में मूलवाद संख्या–680 सन् 2017, बच्चा राम बनाम सरोजा के मामले में प्रार्थनापत्र 6 ग पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिस आराजी के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसी आराजी के सम्बन्ध में उस मूलवाद में परिवादी का व्यादेश प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि वह तथ्य छिपाकर न्यायालय के समक्ष आया था। उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी द्वारा प्राचीन दीवानी विवाद को फौजदारी विवाद का रुप देने का प्रयास किया जाना पाते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया गया है।"

10. यहाँ पर न्याय दृष्टान्त **देवेन्द्रनाथ विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, A I R (1972)उच्चतम न्यायालय 1607** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि जहाँ पर परिवादी के सशपथ बयान व साक्षियों के बयानों से अपराध किये जाने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है कि वह परिवाद को धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज कर सकता है।

11. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भदोही–ज्ञानपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2022 में कोई अवैधानिकता, अनियमितता या अनौचित्यता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या–139 सन् 2022, बच्चन राम तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भदोही–ज्ञानपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–3436 सन् 2021 बच्चनराम तिवारी बनाम नन्दलाल पाण्डेय आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2022 संपुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित की जाय।

दिनांक–09.04.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक–09.04.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court